ORIGINAL RESEARCH PAPER

Commerce

KEY WORDS:

'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अन्य भविष्य निधि संगठन से तुलनात्मक अध्ययन

जयकिशन शोधार्थी वाणिज्य संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.)

डॉ. प्रियंका गर्ग एसिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.)

प्रत्येक व्यक्ति अपने एवं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कार्य करता है, जिससे वह अपनी एवं अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस हेतु वह आय का एक महत्वपूर्ण भाग इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने निवेश पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यवसाय में कार्यरत् व्यक्तियों के समक्ष कई प्रकार की बैंकिंग, बीमा एवं अन्य योजनाएँ निवेश के लिए प्रस्तुत रहती हैं एवं वे अपनी इच्छा से उन योजनाओं में निवेश करते हैं। उनके लिए कोई भी योजना अनिवार्य नहीं रहती है। वे बचत के लिए अथवा कर बचाने के लिए निवेश करते हैं किन्तु सरकारी तथा संगठित क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु बचत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अतः सरकार द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि एवं सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे व्यक्ति में बचत करने की प्रवृत्ति तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है एवं विषम परिस्थितियों में उसे कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता है। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय इतनी राशि प्राप्त हो जाती है, कि वह अपना शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठित परिक्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों एवं सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों के लिए कार्य करती हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि का अन्य भविष्य निधि से तुलनात्मक अन्तर इस प्रकार है–

1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) का लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) व अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) का लाभ सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त होता है एवं सार्वजनिक भविष्य निधि का लाभ सभी वर्ग के लोग, जिन्होंने डाकघर अथवा बैंक में अपनी पसंदीदा शाखाओं में अपना पीपीएफ खाता खुलवाया हो, उठा सकते हैं।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि योजना (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) में नियमित रूप से अंशदान करना अनिवार्य होता है, किन्तु सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ) के अन्तर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा से अंशदान कर सकते हैं।
3. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि योजना (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) में अंशदान का भुगतान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा किया जाता है एवं इनके भुगतान की राशि भी समान होती है, किन्तु सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ) में व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 500 रूपए और अधिक से अधिक 1,00,000 रूपए तक जमा कराए जा सकते हैं।
4. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि योजना (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के खाते कर्मचारियों के सेवा में रहने पर सतत् चलते रहते हैं एवं सेवा समाप्ति पर अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये खाते बन्द भी किये जा सकते हैं, किन्तु सार्वजनिक भविष्य निधि खाते 15 वर्ष के पूर्व बन्द नहीं किये जा सकते हैं। इनमें 500 रूपए वार्षिक जमा कराना आवश्यक होता है।
5. आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में 1,00,000 रूपए तक निवेश करके कर बचाया जा सकता है। वेतनभोगी कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है। वेतनभोगी एवं दूसरे आयकरदाताओं के लिए आयकर की धारा 80सी के अन्तर्गत सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि योजना (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के द्वारा कर बचाना एक शानदार तरीका है। इसके अन्तर्गत इन योजनाओं में जमा धन के साथ ही जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की राशि भी कर मुक्त होती है, जिससे वे इन योजनाओं में अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
6. कर्मचारी भविष्य निधि के खाते उस संस्थान द्वारा खुलवाये जाते हैं, जहाँ कर्मचारी सेवा में कार्यरत् रहते हैं। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के खाते सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए खुलवाये जाते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के खाते डाकघर और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाये जा सकते हैं एवं इन खातों को स्वयं व्यक्ति द्वारा अथवा अवयस्क की स्थिति में माता–पिता द्वारा खुलवाया जा सकता है।
7. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर अंशदान की दर कर्मचारी के वेतन का कम से कम 12 प्रतिशत होती है। इसी दर पर नियोक्ता द्वारा भी अंशदान किया जाता है। कर्मचारी, नियोक्ता की सहमति द्वारा इस दर से अधिक दर पर भी अंशदान कर सकता है, किन्तु यह राशि उसको प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से अधिक नहीं हो सकती है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) पर अंशदान की दर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है एवं इन पर भी समान धनराशि से सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में अंशदान स्वयं खाताधारी द्वारा किया जाता है।
8. सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों को लेकर वित्त मंत्रालय का दोहरा रवैया सामने आया है। मंत्रालय का यह सौतेला व्यवहार ही है कि उसने ईपीएफ की रकम का निवेश जोखिम वाले शेयर बाजार में करने का सुझाव दिया है। वहीं उसने जीपीएफ की राशि को शेयरों में निवेश के प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं प्रदान की है। ईपीएफ निजी व सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों की भविष्य निधि है। इसमें देश के आठ करोड़ से अधिक कर्मचारियों की 5 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा राशि जमा है। वहीं जीपीएफ में सरकारी कर्मियों की राशि जमा होती है। सरकार जीपीएफ एवं सीपीएफ से किसी भी प्रकार की धन राशि शेयर बाजार में लगाने के पक्ष में नहीं है। वहीं सरकार का रूख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अन्तर्गत आने वाली धनराशि को लेकर एकदम अलग है। वह ईपीएफ की कुछ राशि शेयरों में लगाने के पक्ष में है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ईपीएफ की धन राशि को शेयर बाजारों में तभी लगाया जा सकता है, जब सरकार पूँजी के रिटर्न की गारंटी दे। पीपीएफ में तो व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय पर आयकर में छूट प्राप्त करने तथा बचत के लिए निवेश करता है।
9. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि खाते से कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर कुछ विशेष परिस्थितियों में भविष्य निधि की राशि निकाल सकता है, किन्तु सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से 6 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् 50 प्रतिशत की राशि निकाली जा सकती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते से सम्पूर्ण राशि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही निकाली जा सकती है।
10. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में वेतन एवं मजदूरी पर अंशदान की दर तो निर्धारित होती है, किन्तु खाते में धनराशि के जमा करने की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में धनराशि निर्धारण किया गया है। इसमें न्यूनतम 500 तथा अधिकतम 1,00,000 रूपए प्रतिवर्ष खाते में जमा कराये जा सकते हैं।
11. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एवं अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के अन्तर्गत उन कर्मचारियों के खाते खुलवाये जाते है, जो सेवा में कार्यरत् रहते हैं और उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, किन्तु सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का भी पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है और उनके वयस्क होने पर यह धनराशि उन्हें प्राप्त हो जाती है।
12. ईपीएफ, जीपीएफ एवं सीपीएफ सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आने वाली भविष्य निधि योजनाएँ हैं, साथ ही ये कर्मचारियों को आयकर में छूट भी प्रदान करती हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ) भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आती है, किन्तु यह एक ऐच्छिक योजना है। व्यक्ति इसमें अपनी इच्छानुसार ही खाता खुलवाता है। अधिकांश परिस्थितियों में यह खाता आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए खुलवाया जाता है।
13. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान की कटौती कर्मचारियों को दिये जाने वाले मासिक वेतन पर की जाती है। अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की मजदूरी (जिसमें मासिक वेतन का लाभ शामिल नहीं है।) पर कटौती की जाती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में व्यक्ति अपने द्वारा एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत स्वयं धनराशि खाते में जमा करता है।
14. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों में कार्य केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के आदेशानुसार ही होता है। अतः वे अपने कार्यों के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान में इन कार्यालयों में लगभग 44,919 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत् हैं। इन कार्यालयों द्वारा अपना प्रत्येक विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालय, दिल्ली भेजे जाते हैं वहाँ सभी राज्यों के कार्यालयों के विवरणों के उपलब्ध होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक वार्षिक प्रतिवेदन का निर्गमन किया जाता है, जिसमें सम्पूर्ण भारत के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों के खातों का सम्पूर्ण विवरण होता है। इस वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि खातों सम्बन्धित जानकारी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी होती है एवं यह वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से निर्गमित किया जाता है एवं यह प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इसकी आवश्यकता है, प्राप्त हो जाता है।
15. सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि खातों का प्रबंधन एवं निरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि खातों के निरीक्षण का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। राजकीय लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो अधिकार एवं सम्मान और प्राधिकार प्राप्त है, केन्द्रीय बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एवं उसके लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं, विशेषतया, पुस्तकें, लेखे, सम्बन्धित वाऊचर, दस्तावजे तथा कागजातों को प्रस्तुत करने को कहने एवं निरीक्षण करने का अधिकार होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, जो भारत सरकार एवं सभी प्रादेशिक सरकारों के आय–व्यय का लेखांकन करता है। यह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षक लेखा सेवा का प्रधान होता है। इस समय पूरे भारत में इस सार्वजनिक संस्था में 58 हजार से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत् हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय 10, बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख 1978 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री राजीव महर्षि हैं। वे भारत के 13वें नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं।

अंत में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ईपीएफ, जीपीएफ, सीपीएफ तथा पीपीएफ

के क्षेत्र एवं कार्यशैली का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा सम्बन्धित वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। अतः देश के सभी नागरिकों को इन भविष्य निधि योजनाओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे वे इन योजनाओं में अंशदान कर लाभान्वित हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. *वैरवा, राम निवास : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952*
2. Muthuswami, Brinda : Swamy's know your Retirement Benefit for Central Government Employees & Pensioners
3. Muthuswami, Brinda : Swamy's Compiation on Central Government Departmental Canteens
4. Muthuswamy, Brinda : Contributory Provident Fund Rules (India) 1962
5. Maintenance Of GPF Utterakhand Principal Accountant General Experience (Account and Entilements) Utterakhand
6. Bare Act- Employee Provident Fund and Miscellanous Provision Act, 1952
7. Bare Act- Employee Provident Fund and Miscellanous Provision Act, 1952, along with EPF Scheme, 1952
8. Bare Act - Public Provident Fund Act, 1968
9. Capital Market
10. Business World
11. Business Week
12. Business Today
13 izfr;ksfxrk niZ.k& vfrfjDrkad Hkkjrh; vFkZO;oLFkk